अनुदान संख्या 64 - श्रम और रोजगार मंत्रालय
GRANT No. 64 - MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	16846,37,00		16846,38,00	14763,08,52	-2083,29,48
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2055,88,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-			47,31,00	37,52,30	-9,78,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					14,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व खंड में, बचत/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ :–

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2251”	Major Head “2251”				
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services				
मू.	O.	8360.00	8032.25	7638.16	-394.09
पु.	R.	-327.75			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2230" श्रम, रोजगार और कौशल विकास	Major Head "2230" Labour, Employment and Skill Development				
मू.	O.	1511545.00			
पू.	S.	1.00	1466490.75	1464175.16	-2315.59
पु.	R.	-45055.25			
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	161592.00	..	..	..
पु.	R.	-161592.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	900.00	2200.00	2199.81	-0.19
पु.	R.	1300.00			

(I) नौ शीर्षों के तहत ₹161592.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹160440.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "श्रम – श्रम के लिए सामाजिक सुरक्षा" – के तहत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किया है :–

(I) Provision of ₹161592.00 lakhs remained wholly unutilised under nine heads; of these ₹160440.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Labour – Social Security for Labour" - under the following heads:-

(का) "सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ" – ₹69600.00 लाख;

(A) "Social Security Schemes" - ₹69600.00 lakhs;

(खा) "कर्मचारी पेंशन योजना, 1995" – ₹84850.00 लाख;

(B) "Employees' Pension Scheme, 1995" - ₹84850.00 lakhs;

(गा) "असम में बागान कामगारों के लिए पारिवारिक पेंशन–सह–जीवन बीमा योजना" – ₹4758.00 लाख; और

(C) "Family Pension-cum-Life Assurance Scheme for the Plantation Workers in Assam" - ₹4758.00 lakhs; and

(घा) "असम में चाय बागान कामगारों के लिए जमा लिंक्ड बीमा योजना" – ₹1232.00 लाख।

(D) "Deposit Linked Insurance Scheme for Tea Plantation Workers in Assam" - ₹1232.00 lakhs.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर काम करने के लिए कार्यात्मक शीर्षों में आंशिक निधियों/धन के पुनर्विनियोजन और शेष राशि के अभ्यर्पण के कारण उपरोक्त चार शीर्षों के तहत प्रावधान अप्रयुक्त रह गए।

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2251" के तहत – "सचिवालय – श्रम मंत्रालय" – ₹721.84 लाख की बचत (₹8360.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Ministry of Labour" - saving of ₹721.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8360.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less tours undertaken.

(III) मुख्य शीर्ष "2230" के अंतर्गत – बचत निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुई :–

(III) Under Major Head "2230" – savings occurred under the following heads:-

(का) "श्रम" –

(A) "Labour" -

(क) "अनुसंधान और सांख्यिकी – अन्य मदें" – ₹2215.20 लाख की बचत (₹9458.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सर्वेक्षण रिपोर्टों के डिजिटलीकरण में देरी, रिक्त पदों को न भरने, कम दौरे किए जाने और विधिक फीस के कम बिल प्राप्त होने, कम एजेंसियों को काम पर रखने, सर्वेक्षण कार्य पूरा न करना और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा लघु कार्यों से संबंधित धन के कम उपयोग के कारण हुई।

(a) "Research and Statistics - Other Items" – saving of ₹2215.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9458.00 lakhs) was due to delay in digitalization of survey reports, non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and receipt of less bills of legal fees, hiring of less agencies, non-completion of survey work and less utilisation of funds relating to minor works by Central Public Works Department.

(ख) "सामान्य श्रमिक कल्याण – सामान्य श्रमिक कल्याण योजनाएं" – ₹2864.34 लाख की बचत (₹24367.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम छुट्टी यात्रा रियायत दावों की प्राप्ति, विभाग द्वारा दवाओं की गैर–आपूर्ति, लंबित दस्तावेजों के कारण संशोधित

(b) "General Labour Welfare - General Labour Welfare Schemes" – saving of ₹ 2864.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24367.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less leave travel concession claims, non-supply of medicines

एकीकृत आवास योजना के तहत धनराशि जारी न करना और छात्रवृत्ति और वजीफा के अंतर्गत कम आवेदन प्राप्त होने के कारण हुई।

by department, non-release of funds under Revised Integrated Housing Scheme owing to pending documents and receipt of less applications under scholarship and stipend.

(ग) "श्रम के लिए सामाजिक सुरक्षा – सामाजिक सुरक्षा योजनाएं" – ₹99319.31 लाख की बचत (₹476450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 'प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन' और 'प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन', योजनाओं में कम नामांकन के कारण जीवन बीमा निगम से कम दावे प्राप्त होने और असंगठित कामगारों के लिए पात्रता शर्तों को पूरा न करने के कारण 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना' के तहत लाभों का कम वितरण और 'राष्ट्रीय डेटाबेस की योजना' में ई–श्रम पंजीकरणकर्ताओं के बीमा कवरेज को अंतिम रूप न देने के कारण हुई।

(c) "Social Security for Labour – Social Security Schemes" – saving of ₹ 99319.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹476450.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Life Insurance Corporation owing to low enrolment in 'Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan' and 'Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan', Schemes, less disbursement of benefits under 'Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana' owing to non-fulfillment of eligibility conditions and non-finalisation of insurance coverage of e-Shram registrants in the scheme of 'National Database for Unorganized Workers'.

(घ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(i) "अन्य मदें" – ₹1329.93 लाख की बचत (₹1428.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सर्वेक्षण रिपोर्टों के डिजिटलीकरण में देरी, कम कानूनी / पेशेवर बिलों की प्राप्ति और कम एजेंसियों को काम पर रखने, सर्वेक्षण संबंधी कार्य के लिए अस्थायी कार्यालयों को बंद करने और अनुबंध की शर्तों को पूरा न करने के कारण एजेंसी को निधियां जारी न करने के कारण हुई।

(ii) "सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ" – ₹38250.00 लाख की बचत (₹121180.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 'प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन' और 'प्रधान मंत्री कर्म योगी मानधन' योजनाओं में कम नामांकन के कारण जीवन बीमा निगम से कम दावे प्राप्त

(d) "Special Component Plan for Scheduled Castes" –

(i) "Other Items" – saving of ₹1329.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1428.00 lakhs) was due to delay in digitalization of survey reports, receipt of less legal/ professional bills, hiring of less agencies, discontinuation of temporary offices for survey related work and non-release of funds to agency owing to non-fulfilment of conditions of contract.

(ii) "Social Security Schemes" – saving of ₹38250.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹121180.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Life Insurance Corporation owing to low enrolment in 'Pradhan

होने, असंगठित कामगारों के लिए पात्रता शर्तों को पूरा न करने के कारण 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना' के तहत लाभों का कम वितरण और 'राष्ट्रीय डेटाबेस की योजना' में ई–श्रम पंजीकरणकर्ताओं के बीमा कवरेज को अंतिम रूप न देने के कारण के कारण हुई।

Mantri Shram Yogi Maandhan' and 'Pradhan Mantri Karam Yogi Maandhan', Schemes, less disbursement of benefits under 'Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana' owing to non-fulfilment of eligibility conditions and non-finalisation of insurance coverage of e-Shram registrants in the scheme of 'National Database for Unorganized Workers'.

(iii) "श्रम कल्याण योजनाएं" – संशोधित एकीकृत आवास योजना के तहत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने और छात्रवृत्ति एवं वजीफा के तहत कम आवेदन प्राप्त होने की वजह से धनराशि जारी न होने के कारण ₹1251.44 लाख (₹1988.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(iii) "Labour Welfare Schemes" - saving of ₹1251.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1988.00 lakhs) was due to non-release of funds owing to non-receipt of utilization certificates under Revised Integrated Housing Scheme and receipt of less applications under scholarship and stipend.

(ड़) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(e) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "अन्य मदें" – ₹691.68 लाख की बचत (₹760.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सर्वेक्षण रिपोर्टों के डिजिटलीकरण में देरी, कम कानूनी/पेशेवर बिलों की प्राप्ति, कम एजेंसियों को काम पर रखने, सर्वेक्षण संबंधी कार्य के लिए अस्थायी कार्यालयों को बंद करने और अनुबंध की शर्तों को पूरा न करने के कारण एजेंसी को निधियां जारी न करने के कारण हुई।

(i) "Other Items" – saving of ₹691.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹760.00 lakhs) was due to delay in digitalization of survey reports, receipt of less legal/professional bills, hiring of less agencies, discontinuation of temporary offices for survey related work and non-release of funds to agency owing to non-fulfilment of conditions of contract.

(ii) "सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ" – ₹19850.00 लाख की बचत (₹62780.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 'प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन' और 'प्रधान मंत्री कर्म योगी मानधन योजनाओं' में कम नामांकन के कारण जीवन बीमा निगम से कम दावे प्राप्त होने, असंगठित कामगारों के लिए पात्रता शर्तों को पूरा न करने के कारण 'आत्मनिर्भर

(ii) "Social Security Schemes" – saving of ₹19850.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹62780.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Life Insurance Corporation owing to low enrolment in 'Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan' and 'Pradhan Mantri Karam Yogi

भारत रोजगार योजना' के तहत लाभों का कम वितरण और राष्ट्रीय डेटाबेस की योजना में ई–श्रम पंजीकरणकर्ताओं के बीमा कवरेज को अंतिम रूप न देने के कारण के कारण हुई।

Maandhan', Schemes, less disbursement of benefits under 'Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana' owing to non-fulfilment of eligibility conditions and non-finalisation of insurance coverage of e-Shram registrants in the scheme of 'National Database for Unorganized Workers'.

(iii) "श्रम कल्याण योजनाएं" – संशोधित एकीकृत आवास योजना के तहत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने और छात्रवृत्ति एवं वजीफा के तहत कम आवेदन प्राप्त होने की वजह से धनराशि जारी न होने के कारण ₹903.81 लाख (₹1066.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(iii) "Labour Welfare Schemes" - saving of ₹903.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1066.00 lakhs) was due to non-release of funds owing to non-receipt of utilization certificates under Revised Integrated Housing Scheme and receipt of less applications under scholarship and stipend.

(खा) "रोजगार सेवा – रोजगार सेवाएं – रोजगार प्रोत्साहन योजना" – ₹1566.72 लाख की बचत (₹2918.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव हेतु अनुरोध के कार्यान्वयन और फ्लोटिंग में देरी और लागत में कमी के लिए नए सिस्टम इंटीग्रेटर को शामिल करने के कारण हुई।

(B) "Employment Service - Employment Services - Employment Promotion Scheme"- saving of ₹1566.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2918.00 lakhs) was due to delay in implementation and floating of Request For Proposal and engaging new system integrator for reduction of cost.

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹682.09 लाख रूपये की बचत हुई, प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक थी और स्वीकृत प्रावधान का 43 प्रतिशत और 77 प्रतिशत थी।

(IV) Under two heads saving of ₹682.09 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 43 percent and 77 percent of the sanctioned provision.

2. उपरोक्त बचत को निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत आंशिक रूप से अधिक व्यय से संतुलित किया गया :–

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष "2230" – "श्रम" –

(I) Major Head "2230" – "Labour" –

(का) "काम करने की स्थिति और सुरक्षा – डीजीएमएस" – ₹568.26 लाख का अधिक व्यय (₹8629.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापना व्यय और कम्प्यूटर आधारित परीक्षा से संबंधित प्रतिबद्ध व्यय के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण था।

(A) "Working Conditions and Safety – DGMS" – excess of ₹568.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8629.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards establishment expenses and committed expenditure related to Computer Based Test examination.

(खा) "श्रम के लिए सामाजिक सुरक्षा" –

(क) "कर्मचारी पेंशन योजना 1995" – ₹107290.00 लाख से अधिक (₹549824.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ और पारिवारिक पेंशन–सह–जीवन बीमा निधि में सरकार की हिस्सेदारी के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर कार्य करने के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में निधियों के पुनर्विनियोजन के कारण था।

(ख) "असम में बागान कामगारों के लिए पारिवारिक पेंशन–सह–जीवन बीमा योजना" – ₹4758.00 लाख का अधिक व्यय (₹5.00 लाख रूपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ग) "असम में चाय बागान कामगारों के लिए जमा संबद्ध बीमा योजना" – ₹1232.00 लाख का अधिक व्यय (₹5.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अतिरिक्त राशि उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर कार्य करने के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में निधियों के पुनर्विनियोजन के कारण थी।

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – कर्मचारी पेंशन योजना, 1995" – ₹4980.00 लाख का अधिक व्यय (₹140851.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – कर्मचारी पेंशन योजना, 1995" – ₹2580.00 लाख का अधिक व्यय (₹72975.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पारिवारिक पेंशन–सह–जीवन बीमा निधि में सरकार के हिस्से

(B) "Social Security for Labour" -

(a) "Employees' Pension Scheme, 1995" – excess of ₹107290.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹549824.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards Government's share in Family Pension-cum-Life Assurance Fund.

(b) "Family Pension-cum-Life Assurance Scheme for the Plantation Workers in Assam"- excess of ₹4758.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5.00 lakhs); and

(c) "Deposit Linked Insurance Scheme for Tea Plantation Workers in Assam"- excess of ₹1232.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5.00 lakhs).

Excess under the above two heads were due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes – Employees' Pension Scheme,1995"- excess of ₹4980.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹140851.00 lakhs); and

(D) "Tribal Area Sub-Plan - Employees' Pension Scheme, 1995" – excess of ₹2580.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 72975.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards

के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण था।

Government's share in Family Pension-cum-Life Assurance Fund.

(ङ) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – आईएलओ में भारत का योगदान" – ₹624.14 लाख रूपये का अधिक व्यय (₹2684.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर भिन्नता के कारण था।

(E) "International Cooperation – India's Contribution to the I.L.O." – excess of ₹624.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2684.00 lakhs) was due to exchange rate variation.

(II) मुख्य शीर्ष "3601" के तहत – "केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं – केंद्रीय सहायता/शेयर – रोजगार सृजन कार्यक्रम" – ₹1299.95 लाख का अधिक व्यय (₹675.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थानीय स्तर पर रोजगार सेवा प्रदान करने और आउटरीच एवं अन्य सेवाओं के संचालन के लिए मॉडल करियर सेंटर को सहायता–अनुदान की दूसरी किस्त जारी करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण था।

(II) Under the Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes – Central Assistance/Share - Employment Generation Programmes" - excess of ₹1299.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹675.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards release of 2nd installment of Grant-in-aid to Model Career Centres to provide employment service at local level and for conducting outreach and other services.

3. अनुदान के पूंजीगत खंड में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई :–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4250" अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4250" Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	4721.00	4707.00	3742.77	-964.23
पु.	R.	-14.00			

(I) "श्रम – डीजीएफएएसएलआई योजनाओं" के तहत – केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित समय के भीतर काम पूरा न होने के कारण ₹876.51 लाख (₹2020.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(I) Under "Labour – DGFASLI Schemes" – saving of ₹876.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2020.00 lakhs) was due to non-completion of works by Central Public Works Department within stipulated time.

4. *बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष :–*

बीड़ी निर्माण में लगे व्यक्तियों और उनके आश्रितों की कल्याण गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के तहत इस कोष का गठन किया गया था। इस निधि का वित्तपोषण बीड़ी श्रमिक उपकर अधिनियम, 1976 के तहत बीड़ी के निर्माण के संबंध में किसी भी उद्देश्य के लिए गोदामों से व्यक्तियों को जारी किए गए तंबाकू पर एकत्रित उपकर से किया गया था। यह उपकर वित्त अधिनियम, 1979 के तहत मार्च, 1979 से समाप्त कर दिया गया था, लेकिन बीड़ी श्रमिक कल्याण उपकर (संशोधन अधिनियम, 1981) के तहत 1 जनवरी, 1982 से फिर से लगाया गया था।

वर्ष 2022–23 के लिए निधि का लेखा–जोखा इस प्रकार था :–

4. *Beedi Worker Welfare Fund:-*

The Fund was constituted under the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 for financing welfare activities of persons and their dependents engaged in Beedi manufacturing. The fund was financed by the levy of cess collected under Beedi Workers Cess Act, 1976 on tobacco issued to the persons from warehouses for any purpose in connection with manufacture of Beedi. This cess was abolished with effect from March, 1979 under the Finance Act, 1979 but was levied again with effect from 1st January, 1982 under the Beedi Workers Welfare Cess (Amendment Act, 1981).

The Account of the Fund for 2022-23 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

प्रारंभिक शेष	Opening Balance	-210,70,63
रसीदें	Receipts	शून्य NIL
भुगतान	Payments	शून्य NIL
अंतिम शेष	Closing Balance	-210,70,63